न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 09/2014 (2014/00001)

1. जनता पुत्री स्व0 दूदा
2. गीता पुत्री स्व0 दूदा
   जाति रावत निवासी भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. जोशी पुत्र स्व0 दूदा
2. रामी पत्नि स्व0 दूदा
   जाति रावत निवासी भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला–अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ..... रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री औमप्रकाश गुर्जर राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :–19.5.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भवानीखेडा (नरवर) तहसील अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 80 खसरा संख्या 2670, 2677, 2682, 2698, 2761, 2764, व 3118 कुल किता 7 रकबा 14 बिस्वा 6 बिस्वा एवं खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 2253, 2256, 2260, 2428, 2432, 2436, व 2437 कुल किता 7 रकबा 16–06–00 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी, पुश्तैनी भूमि थी। अपीलान्ट्स स्व0 दूदा की जायदा पुत्रियॉ हैं अपीलान्ट्स के पिता दूदा के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो अपीलान्ट्स का भाई है, ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करते हुए अपीलान्ट्स को उनके हक अधिकारों से वंचित व महरूम करने की नियत से स्व0 दूदा की जायन्दा पुत्रियों (अपीलान्ट्स) को छिपाते हुए विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 17.5.1989 को अपने व अपीलान्ट्स की माता रेस्पोडेन्ट 2 के नाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर से तस्दीक करवा लिया। आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.05.1989 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों संख्या 01, 02 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आयें। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित को सुना गया।

सर्व प्रथम राजकीय अभिभाषक ने अपीलान्ट्स की अपील को मियाद बाहर बताते हुये अपील को मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने का कथन किया। जवाब में अपीलान्ट्स अभि0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि आक्षेपीय नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स/प्रार्थी0 को कभी नहीं रही। प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थी संख्या 01 को अपने पिता की भूमि में हिस्सा होने की बात कही तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को धमकी देते हुए स्व0 दूदा की जमीन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यह जमीन केवल मेरे एवं माता के नाम दर्ज है। इस पर प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्राप्त किये जाने पर स्व0 दूदा की प्रश्नगत आराजी में अप्रार्थी का नाम नहीं होने एवं आक्षेपित नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 20.1.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, नामान्तरकरण की नकल प्रार्थीगण को दिनांक 28.02.2014 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात रूपयों की व्यवस्था कर वकील नियुक्त कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुति में हुये सद्भाविक विलम्ब को क्षमाकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित फरमाई जावें। हमने कथनो पर मनन किया, रेकार्ड देखा। प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न शपथ पत्र एवं उपरोक्त व्यक्त कथनों के मध्यनजर न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील प्रस्तुति में हुये विलम्ब को कण्डोन करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट्स के पिता स्व0 दूदा के नाम ग्राम भवानीखेडा (नरवर) तहसील अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 80 खसरा संख्या 2670, 2677, 2682, 2698, 2761, 2764, व 3118 कुल किता 7 रकबा 14 बिस्वा 6 बिस्वा एवं खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 2253, 2256, 2260, 2428, 2432, 2436, व 2437 कुल किता 7 रकबा 16–06–00 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी, पुश्तैनी भूमि थी। अपीलान्ट्स स्व0 दूदा की जायदा पुत्रियॉ हैं अपीलान्ट्स के पिता दूदा के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो अपीलान्ट्स का भाई है, ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करते हुए अपीलान्ट्स को उनके हक अधिकारों से वंचित व महरूम करने की नियत से स्व0 दूदा की जायन्दा पुत्रियों (अपीलान्ट्स) को छिपाते हुए विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 17.5.1989 को अपने व अपीलान्ट्स की माता रेस्पोडेन्ट 2 के नाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर से तस्दीक करवा लिया। विवादित भूमि अपीलान्ट्स की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें स्व0 दूदा की सभी जायन्दा पुत्र–पुत्रियॉ एवं पत्नि का बराबर हक हिस्सा निहित है। चूंकि अपीलान्ट्स स्व0 दूदा की जायन्ता पुत्रियॉ है। विरासत का आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.05.1989 अपीलान्ट्स के पक्ष में भी तस्दीक किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या संख्या 91 दिनांक 17.05.1989 को निरस्त किया जाकर स्व0 दूदा की विरासत का नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पो0 संख्या 03 की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में किये गये संशोधन के मुताबिक 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुआ विभाजन अप्रभावी रहेगा। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1989 का है लिहाजा अपीलान्ट्स का प्रश्नगत आराजी में विधिक हक अधिकार नहीं बनता है। अतः अपील, अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों की पुष्टि में 2016 (2) RLW पेज 1337 से 1351 के उद्धरण उद्धत करवाये। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही (समरी प्रोसीडिंग) है। जिसमें खातेदारी हको का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। चूंकि ग्राम भवानीखेडा (नरवर) की प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार स्व0 दूदा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.5.1989 सरपंच, ग्राम पंचायत नरवर द्वारा प्रमाणित सजरा के आधार पर पटवारी द्वारा भरकर पेश किया गया। जिसकी नियमानुसार भू0अ0निरीक्षक द्वारा जांच की गई है। तत्पश्चात मुताबिक सजरा भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट्स के नाम स्वीकृत किया गया है। तदनुसार अधिकार अभिलेख में रस्पोडेन्ट्स संख्या 01, 02 के नाम खातेदारी का अमल दरामद भी किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.05.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 17.05.1989 की मूल प्रति का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत नरवर द्वारा प्रमाणित सजरे के आधार पर नामान्तरकरण भरकर पेश करने पर इसकी निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने उपरान्त सक्षम भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा "मुताबिक सजरा मु0रामी बेवा दूदा व जोशी पुत्र दूदा स्वीकार है।" अंकित कर तस्दीक किया गया है। इस स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2042 में आराजी मुतनाजा विरासत से दूदा के स्थान पर रामी बेवा दूदा व जोशी पुत्र दूदा जाति रावत सा0 भवानीखेडा दर्ज हुआ। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 27.12.2002 से पूरे खाते पर जोशी पुत्र दुदा का 1/2 हिस्सा हिस्सा राहिन अजमेर सह.भू.वि.बैंक के पास रहन रखा गया, तथा नामान्तरकरण संख्या 1011 दिनांक 20.2.2008 के अनुसार रहनमुक्ति से किता 7 रकबा 16–06–00 बीघा जोशी पुत्र दुदा का 1/2 हिस्सा रहनमुक्त स्वीकार किया का इन्द्राज दर्ज है। इसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 1017 दिनांक 05.03.2008 के अनुसार बेचान से खसरा नं0 2260 रकबा 05–09–00 पर रामी बेवा दूदा व जोशी पुत्र दुदा के स्थान पर केती श्रीमती आशु आडवानी धर्म पत्नि प्रकाश आडवानी जाति सिन्धी निवासी मनोहर भवन हाथीखेडा चौराहा, फायसागर रोड, अजमेर खातेदार का अंकन दर्ज किया गया। इन अंकनों के पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.7.2013 को ग्राम पंचायत नरवर के तत्कालीन सरपंच से नवीन सजरा तैयार करवा कर प्रश्नगत आराजी बाबत यह अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित मामलों में सरपंच द्वारा जारी सजरे को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अपील तथ्यों बाबत उक्त सजरे के अलावा अपीलान्ट्स द्वारा कोई ठोस विधिक प्रमाण प्रकट नहीं है। अपीलाधीन आराजी के संदर्भ में राजकीय अभिभाषक के यह कथन भी विचारणीय है कि हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के तहत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में किये गये संशोधन के मुताबिक 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किया गया विभाजन/प्राप्त की जा चुकी सम्पति पर अप्रभावी रहेगा। प्रश्नगत अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1989 (17.5.1989) का है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स प्रश्नगत आराजी बाबत अपने विधिक हक अधिकार साबित करने में असफल रहें है। आराजी मुतनाजा बाबत् अंकित अंकन एवं उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। यदि विवादित आराजी बाबत कोई हक अधिकार बनता है तो अपीलान्टस अपने हकों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। सारांशतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर